ा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहक जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी बहस हेतु अवसर चाहा है अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा-पत्र मे दिनांक 6-10-25 को पेश हो।	
6-10-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली मे उभय पक्ष ने दौराने बहस मे दस्तावेज पेश किये। पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 15-10-25 को पेश हो।	
15-10-25	[redacted] SDO सा: अवकाश मे पधारे हैं। आया सश उप: [redacted] 16-10-25 [redacted]।	
16-10-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष की बहस पूर्व मे सुनी गई प्रा-पत्र अ- धा- 212 RTA का सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

आदेश
दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज०
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रा.पत्र संख्या :–32 / 2025

छगनलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी ऑवलहेडा तह0 बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

1. एजनवाई पिता डूँगा जी धाकड निवासी ऑवलहेडा तह. बेगूँ हा0मु0 पति उँकारलाल धाकड निवासी रायती तह0 बेगूँ
2. कन्हैयांलाल पिता नाथूलाल धाकड निवासी आंवलहेडा तह0 बेगूँ
3. मन्जुवाई पिता नाथूलाल धाकड निवासी आंवलहेडा तह0 बेगूँ हा0मु0 पति संजु धाकड निवासी गोविन्दपुरा तह0 बेगूँ
4. रामकन्यावाई पिता नाथूलाल धाकड निवासी आंवलहेडा तह0 बेगूँ हा0मु0 पति लाभचंद्र धाकड निवासी खरडी तह0 बेगूँ
5. मोहनलाल माता स्व. जानीवाई पिता नारायण धाकड निवासी ठुकराई तह0बेगूँ
6. कमलीवाई माता जानीबाई पिता नारायणस धाकड हा.मु. पति बरदा धाकड निवासी फलासिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
7. धापूवाई पति स्व. तुलसीराम धाकड निवासी आंवलहेडा तह0 बेगूँ
8. शांतिलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी आंवलहेडा तह0 बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री इफतेखार अजमेरी
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता विपक्षी 1,2,3,4
श्री विष्णु कुमार चतुर्वेदी
अधिवक्ता विपक्षी 5,7,8

आदेश दिनांक :– 16.10.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह कि उक्त उनवानी प्रकरण में वांदी–प्रार्थी की ओर से एक वादपत्र अंतर्गत धारा 88,53,188 का न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो ठोस एवं सत्याधारित होने से अवश्य ही डिकी होगा लेकिन मूल वाद के अंतिम निस्तारण में निश्चित ही समय लगेगा तब तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान में पेश है

यह कि मौजा ग्राम आंवलहेडा प.हं. आंवलहेंडा तहसील बेगू में प्रार्थी के पारिवारीक हिस्से व कब्जे काश्त की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयांत संवत 2078 के जमाबंदी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज स्थित हैं जिसका विवरण इस प्रकार हैं।

(अ) खाता सं.	आराजी सं.	रकबा है.
101	1028	0.1540 हे.
	1046	0.0240 हैं.
	1047	0.0240 हे.
	1049	0.2670 हे.
	1252	0.2830 हैं.
	1267	0.3400 हे.
	1296	0.1290 हे.
	1302	0.2270 हे.
	1452	0.1700 हे.
	1484	0.2020 हे.
	1485	0.1300 हे.
	1498	0.2830 हे.
	170	0.8900 हे.

176	0.3890 हे.
305	0.3000 हे.
61	1.0040 हे.
686	0.0080 हे.
70	0.1700 हे.
कुल कीता 18 कुल रकवा	4.9940 हैं.

(व)

खाता सं.	आराजी सं.	रकवा हैं.
100	1261	0.1700 हे.
	1262	0.3730 हैं.
	1286	0.3560 हे.

0.8990 हे. कुल कीता 3 कुल रकवा

यह कि वादी व प्रतिवादीगण का पांरिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

डूंगा जी फौत

तुलसीराम — प्यारचंद फौत पत्नी मांगीबाई लाऔलाद फौत — नाथू — ऐजन पुत्री — जानीबाई फौत

नाथू: कन्हैयालाल पुत्र

ऐजन पुत्री: मोहन लाल पुत्र

जानीबाई फौत: कमलाबाई पुत्री

तुलसीराम: छगनलाल, पुत्र वादी — शांतिलाल, पुत्र — धापुवाई पत्नि

मंजुबाई पुत्री — रामकन्या पुत्री

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 2 की उपकलम "अ" में वर्णित पैत्रिक अविभाजित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में प्रार्थी का 1/15 हक हिस्सा एवं प्रार्थी के काका प्यारचन्द धाकड एवं इनकी पत्नी मांगीबाई के कोई जाइन्दा पुत्र पुत्री संतान, पैदा नही हुई इन जिनकी सेवा चाकरी वादी द्वारा की गई और प्रार्थी के काका प्यारचंद जी धाकड ने नही हुई जिनकी सेवा अपने जीवितावस्था में ही अपने निर्हित हक हिस्सा 1/5 भूमि का मौखिक दान प्रार्थी को कर कब्जा सौंप दिया था। इस प्रकार प्रार्थनापत्र वर्णित पैत्रिक कृषि आराजीयात. में प्रार्थी का 1/15. 1/5 हक–हिस्सा वनता है तथा उपकलंम "व" में वर्णित पैत्रिक अविभाजित कुलिया 4/15 संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयांत में प्रार्थी का 1/9. हक हिस्सा एवं प्रार्थी के काका प्यारचंद जी धाकडं एवं इनकी पत्नी मांगीबाई के कोई जाइन्दा पुत्र पुत्री संतान पैदा नही हुई जिनकी सेवा चाकरी प्रार्थी द्वारा की गई और प्रार्थी के काका प्यारचंद जी धाकड ने अपने जीवितावस्था में ही अपने निहितः हक हिस्सा 1/3 भूमि का मौखिक दान प्रार्थी को कर कब्जा सौंप दिया था। इस प्रकार प्रार्थनापत्र वर्णित पैत्रिक कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/9. 1/3 कुलिया 4/9 हक हिस्सा बनता हैं इस प्रकार उपकलम "अ" व "ब" में वर्णित भूमि पर पारिवारीक बंटवाडा अनुसार मौके पर प्रार्थी निरंतर निर्वाध रूप से कावीज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं और शेष, हिस्से की भूमि पर विपक्षीगण भी अपने अपने हिस्से अनुसार काबीज होकर काश्त कर रहे हैं। इसलिये प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक की उपकलम "अ" में अपने कुलिया 4/15 हक हिस्सा व उपकलम "व" में अपने कुलिया 4/9 हक हिस्सा भूमि पर पारिवारीक बंटवाडा अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने की घोषणा कराये जाने हेतु उक्त वादपत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया गया है।

यह कि प्रार्थनापत्र में वर्णित पैत्रिक भूमि का मौके व राजस्व रेकार्ड में अभी तक विधिवत रूप से किसी प्रकार का वंटवाडा नहीं हुआ हैं और कोई भी सहखातेदार विना विधिक वंटवाडा करवाये भूमि को वेचान नही कर सकता है। लेकिन विपक्षीगण उक्त श्वाद वर्णित पैत्रिक अविभाजित कृषि भूमि को विधि विरुद्ध तरीके से वेचान करना चाहते हैं और विपक्षीगण ने दिनांक 20/5/2025 को प्रार्थी को धमकी दी कि हम तो वाद वर्णित भूमि को विना वंटवाडा कराये ही वेचान करेगें और केता को कब्जा सौंप कर रहेगें। इस प्रकार प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है।

यह कि यदि विपक्षीगण ने वाद वर्णितः भूमि को विना विधिवत वंटवाडा कराये अन्य व्यक्ति को रहन, वेचान कर कब्जा सौंप दिया तो प्रार्थी को भारी हानि हो जायेगी जिसका मूल्यांकन अर्थ में किया जाना भी संभव नहीं होगा इसके विपरीत विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने में उन्हे किसी प्रकार की कोई हानि नही होगी क्योकि जव तक विधिवत वंटवाडा नहीं हो जाता तव तक कोई भी अजनवी व्यक्ति किसी प्रकार से भूमि कय नही कर सकता और. ना ही कब्जा कर सकता है । इस प्रकार सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

यह कि विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना न्यायहित में आवश्य हैं कि वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक उक्त वाद वर्णित भूमि को विना विधिवत वंटवाडा कराये किसी प्रकार से रहन, वेचान, हस्तांतरित नही करें करावें ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावें कि विपक्षीगण मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रार्थनापत्र वर्णित उक्त अविभाजित पारिवारीक पैत्रिक कृषि आराजीयात को विना विधिवत वंटवाडा कराये किसी प्रकार से रहन, बेचाक्ष, हस्तांतरित नहीं करें करावें ।

प्रकरण को वकील श्री इफतेखार अजमेरी के द्वारा हमारे समक्ष उपस्थित आकर अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने बाबत निवेदन करते हुए एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं के अनुसार की गई। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया, मामला प्रथम दृष्टया प्रतीत होता होने से प्रकरण में दिनांक 11.06.2025 को निम्नलिखित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई :-

अतः विपक्षीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 01.07.2025 तक ही पावन्द किया जाता है कि आप मौजा ऑवलहेंडा प.ह आवलहेडॉ तहसील वेगूं की खाता स. 101 आराजी स.1028, 1046, 1047, 1049, 1252, 1267, 1296, 1302, 1452, 1484,1485, 1498, 170, 176, 305, 61, 686, 70, कुल किता-18 कुल रकवा 4.9940 हे. एवं खाता स.100 आराजी स.1261, 1262, 1286, कुल किता 03 कुल रकवा 0. 8990 हे.भूमि कृषि आराजीयात मे किसी प्रकार से रहन, वेचान, हस्तांतरित नहीं करें करावें ।

प्रार्थना पत्र न्यायायल में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन से तलब किया जाने पर विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द मन्त्री ने अधिकार पत्र पेश कर जवाव प्रा.पत्र पेश कर इस प्रकार से निवेदन किया है कि यह कि प्रार्थनापत्र की कलम सं0 1 गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र पूर्णतया वेग एवं मिथ्या तथ्यों पर व अवैधानिक आधार पर प्रस्तुत होने से प्रथमदृष्टया ही निरस्त योग्य है ।

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम सं0 2 का जवाव इस प्रकार है कि इस कलम वर्णित आराजियात राजस्व रेकार्ड में अंकित होने का कथन सही होकर स्वीकार है ।

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम सं0 3 का जवाव इस प्रकार है कि प्रार्थी ने सजरा अपूर्ण अंकित किया हैं, तुलसीराम जी के एक पुत्री शिमला भी हैं जिसका अंकन प्रार्थी ने जानवुझ कर नही किया है।

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम सं0 4 गलत होकर अस्वीकार है, प्रार्थी ने सभी तथ्य काल्पनिक एवं मिथ्या अंकित किये है । प्यारचंद जी ने कभी भी वादी प्रार्थी को कोई भूमि दान नहीं की एवं न ही कानूनन मौखिक दान किया ही जा सकता है, प्यारचंद जी की मृत्यु उपरांत उनकी सम्पत्ति की मालिक स्वामी उनकी एकमात्र वारिस बेवा (पत्नी) गांगीबाई बनी जिसके नाम नामान्तरण हुआ एवं आज भी राजस्व रेकार्ड में प्यारचंद जी के हक हिस्से की भूमि गांगीबाई के नाम दर्ज रेकार्ड है । स्व0 प्यारचंद जी व स्व. गांगीबाई की सेवा सुश्रुषा प्रार्थी ने नहीं की बल्कि विपक्षी सं0 2 कन्हैयालाल ने की, प्यारचंद जी एवं

ाबाई विपक्षी सं0 2 कन्हैयालाल के साथ ही रहे एवं इनका अंतिम क्रिया कर्म भी विपक्षी संख्या 2 ने ही पुत्र की भांति किया। श्रीमती मांगीवाई ने अपनी जिवितावस्था में विपक्षी सं0 2 की सेवा से प्रसन्न हो, विपक्षी सं0 2 के पक्ष में दिनांक 04/9/2024 को एक वसियतपत्र निष्पादित करवा उपपंजियन कार्यालय वेगूं में पंजीकृत करवाया । विपक्षी सं0 2 ने मांगीबाई की मृत्यु पश्चात उक्त वसियत पत्र के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तरण हेतु आवेदन तहसीलदार साहव वेगूं के यहाँ प्रस्तुत किया जिससे नाराज होकर प्यारचंदजी व मांगीवाई के हिस्से की सम्पत्ति जिसका मालिक स्वामी वसियत के आधार पर विपक्षी सं0 2 वना है, को हडपने की गरज से प्रार्थी ने यह मिथ्या एवं वेग तथ्यों पर आधारित वाद एवं प्रार्थनपत्र प्रस्तुत किया हैं जो निरस्त योग्य है ।

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम सं0 5 गलत होकर अस्वीकार है । विपक्षीगण ने कभी भी भूमि विक्रय वावत किसी को नहीं कहा हैं एवं न ही भूमि विक्रय कर रहे है, मात्र विपक्षीगण को परेशान करने व स्व. मांगीबाई पत्नी प्यारचंद जी की भूमि विपक्षी सं0 2 के नाम नहीं होने देने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है।

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम सं0 6 गलत होकर अस्वीकार हैं, प्रार्थी ने मात्र अनैतिक लाभ प्राप्त करने व विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो आधारहीन होकर प्रथमदृष्टया ही निरस्त योग्य है

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम सं0 7 गलत होकर अस्वीकार है। वैसे भी कानूनन किसी भी व्यक्ति को अपने हिस्से की भूमि को हस्तान्तरण करने से नहीं रोका जा सकता है ।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 5 मोहनलाल, विपक्षी सं07 धापूबाई एवं विपक्षी सं0 8 शांतिलाल की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया गया कि वर्णित कृषि आराजीयात मौजा आंवलहेडा प.ह आंवलहेडा में होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र कलम सं. 3 में अंकित पारिवारिक सजरा स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्सा 4 स्वीकार होकर जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी के काका व इनकी पत्नी मांगीबाई के कोई पुत्र पुत्री संतान पैदा नहीं हुई थी। प्रार्थी को प्यारचंद्र जी ने अपाने जीवनकाल में ही उनकी संपति के मौखिक दान कर दिया था और मोके पर कब्जा भी सिपुर्द कर दिया था तथा प्यारचंद्र जी की सेवा सुश्रृषा भी प्रार्थी ने ही की थी तथा इसके पश्चात प्रार्थी की काकी मांगीबाई की सेवा सुश्रृषा भी प्रार्थी ने ही की थी तथा प्यारचंद्र जी द्वारा अपनी संपति के मौहिख्खक दान से ही प्रार्थी निरंतर काबीज ही उपयोग उपभोग करता आ रहा है। लेकिन प्यारचंद्र जी के स्वर्गवास पश्चात विपक्षी संख्या 2 कन्हैयालाल के मन में बदनियती आ जाने से प्यारचंद्र जी की पत्नी मांगीबाई जो कि 70 वर्ष से अधिक की आयु की थी तथा 2 साल तक लकवा की बीमारी से ग्रसित होने एवं मानसिक संतुलन भी सही नहीं हांने पर भी विपक्षी सं0 2 कन्हैयांलाल ने अपने पक्ष में फर्जी वसीयत तैयार करवा ली और उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर विपक्षी सं0 2 कन्हैयालाल भूमि को हडपना चाहता है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 स्वीकार है जवाब इस प्रकार है कि विपक्षी सं. 2 कन्हैयालाल उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर प्यारचंद्र जी की संपति को खुर्द बुर्द करने एवं बेचान करने की धमकी देता आ रहा है जिसका की उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 6 का जवाब इस प्रकार है कि मृतक प्यारचंद्र जी ने अपने जीवनकाल में ही अपने हक हिस्से की संपति का मौखिक दान प्रार्थी को कर दिया तब से प्रार्थी का कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है तथा प्यारचंद्र जी के हक हिस्से की संपति पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक अधिकार नहीं है।

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 7 स्वीकार है जवाब इस प्रकार है कि पैतृिक संपति भूमि की वसीयत किया जाना विधि विरूद्ध है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी संख्या 5,7,8 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में जवाब विपक्षीगण का प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पर ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए निवदन इस प्रकार किया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान में वादपत्र 88-53-188 राज0काश्त0अधि0 का प्रस्तुत किया है। प्यारचंद्र ला औलाद फोत हुए तथा मौखिक रूप से दान किया तभी से काबिज होकर काश्त कर रहे है। विपक्षी संख्या 2 ने जबरन एक वसीयत करा ली है, मांगीबाई 2 वर्ष से लकवाग्रस्त है, वसीयत पंजीकृत है जबकि कृषि भूमि पैतृिक भूमि है, वसीयत नहीं की जा सकती है, विपक्षी संख्या 5,7,8

कार किया है। वसीयत को न्यायालय में चैलेन्ज किया गया है। टी.आई की शर्ते पूरी होती है। माननीय यायालय ने सुनकर प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी की है। सरकारी दस्तावेज में नाम आने से न्याय का वसीयत का आधार नहीं। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार फरमाया जावें।

बहस में अधिवकता विपक्षीगण संख्या 5,7,8 द्वारा निवेदन अपने जवाब अनुसार ही करते हुए कहा है कि पैतृक संपति की वसीयत नहीं , कब्जा प्रार्थी का कृषि भूमि पर है जो कि मौखिक दान अधिकार से होकर है, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर आपत्ति नहीं है।

बहस में अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 1,2,3 व 4 द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी व विपक्षीगण सहखातेदार है। प्यारचंद्र विरासत मांगीबाई खातेदार तथा मांगीबाई फोत– कन्हैयांलाल को मौखिक दान किया गया जबकि मौखिक दान कानूनन मान्य नहीं है। राजस्व रेकार्ड में प्यारचन्द्र जी के हिस्से की भूमि मांगीबाई के नाम दर्ज रेकार्ड है। स्व.मांगीबाई की सेवा प्रार्थी ने नहीं की है बल्कि विपक्षी सं0 2 कन्हैयालाल ने की है विपक्षी सं0 2 पुत्र की तरह ही रहता है तथा मांगीबाई की जीवितावस्था में विपक्षी की सेवा से प्रसन्न होकर ही दिनांक 04.09.2024 को एक वसीयत पत्र निष्पादित करवा उप पंजीयन से पंजीकृत करवाया है, मांगीबाई के हिस्से का स्वामि विपक्षी सं0 2 बना है। प्रार्थी मिथ्या एवं वेग तथ्यो पर आधारित वादएव प्रार्थना पत्र. प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दुओं पर निस्तारण किया जाना होता है जो कि दस्तावेजी सबूत का उल्लेख करते हुए निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– प्रथम दृष्टया मामला :–

प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अवलोकन से पाया कि मौजा आंवलहेडा की आराजी संख्या 1028, 1046, 1047, 1049, 1252, 1267, 1296, 1302, 1452, 1484, 1485, 1498, 170, 176, 305, 61, 686, 70 कीता– 18 कुल रकबा 4.9940 हैक्टर भूमि में अन्य सहखातेदारान के साथ मांगीबाई पत्नी स्व. प्यारचंद्र का हिस्सा 1/5 दर्ज अंकित होकर मांगीबाई सहखातेदार है। नकल जमाबंदी मौजा आंवलहेडा की कृषि आराजी संख्या 1261, 1262, 1286 कीता– 3 कुल रकबा 0.8990 हैक्टर भूमि में प्रार्थी छगनलाल पुत्र तुलछीराम का हिस्सा 1/9 है तथा मांगीबाई पत्नी स्व. प्यारचंद्र का हिस्सा 1/3 दर्ज अंकित होकर अन्य सहखातेदारान के नाम भी आराजी में दर्ज है। जैसा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य है कि प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी जो कि पैतृक होना बताया गया है तथा सहखातेदारी की कृषि भूमि में खातेदार प्यारचंद्र फोत तथा उनकी पत्नी मांगीबाई को भी लाऔलाद फोत होना दर्शाया गया है। प्रार्थी का कथन है कि प्यारचंद्र के हिस्से की आराजी को प्रार्थी के पक्ष में मौखिक दान करते हुए कब्जा प्रार्थी को दे दिया गया था, जबकि कानूनन मौखिक दान का कोई महत्व नहीं होता है, मौखिक दान की पुष्टि नही की गई है, जबकि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र शोभालाल पिता रतनलाल धाकड, व उदयलाल पिता नारायण धाकड के शपथ पत्र का अवलोकन किया गया, साथ ही प्रस्तुत दस्तावेज मांगीबाई/प्यारचंद्र के नाम पर जारी अफीम पट्टा की छायाप्रति ,मांगीबाई का जनआधार कार्ड, परिवार का कार्ड का अवलोकन किया गया जिसमें विपक्षी संख्या 2 कन्हैयालाल का नाम पुत्र बेटा अंकित किया हुआ है। साथ ही श्रीमति मांगीबाई पति स्व0 प्यारचंद्र के द्वारा श्री कन्हैयांलाल पिता नाथूलाल के पक्ष में की गई पंजीकृत वसीयत नामा की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसका अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया। मामला स्पष्ट है, कि वर्णित कृषि आराजी में खातेदार प्यारचंद्र व उनकी पत्नी मांगीबाई के कोई औलाद नहीं होने से उन्होने कन्हेयांलाल को अपने पुत्र की तरह रखते हुए कन्हैयालाल के नाम पर पंजीकृत वसीयत मांगीबाई द्वारा की गई, क्यो कि कन्हैयांलाल ही उनके पुत्र की तरह रहते हुए उनकी सेवा करता था जो कि परिवार के राशन कार्ड में अंकित कन्हैयांलाल का नाम दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा कन्हैयांलाल के पक्ष में की गई वसीयत को निरस्त कराने के लिए सिविल न्यायालय में प्रकरण दायर किया है, जिस पर कोई प्रभावी आदेश न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, यानि उक्त प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, जबतक पंजीकृत वसीयत निरस्त नहीं की जाती है तब तक वह प्रभाव में रहेगी साथ ही मौखिक दान का कोई महत्व नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी सबूत से प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन :-

प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से पाया कि वर्णित कृषि भूमि के मृतक खातेदार प्यारचंद्र व उनके पश्चात उनकी पत्नी मांगीवाई दर्ज अंकित है, जिनका हक हिस्सा अन्य सहखातेदारान के साथ साथ दर्ज रिकोर्ड है, यह तथ्य भी सामने आया है कि प्यारचंद्र व मांगीवाई के कोई औलाद नहीं थी किन्तु प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज से अवगत होता है कि विपक्षी संख्या 2 कन्हैयालाल का नाम मांगीवाई पति प्यारचंद्र के परिवार राशनकार्ड में पुत्र के रूप दर्ज अंकित है तथा मांगीवाई द्वारा कन्हैयालाल के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत नामा भी निष्पादित किया गया है, जो वर्तमान मे प्रभाव में है। हॉलाकि प्रार्थी द्वारा उक्त वसीयतनामा के विरूद्ध सिविल न्यायालय में उसे निरस्त कराने का प्रकरण भी दायर किया गया है लेकिन जब तक उक्त वसीयतनाभा को लेकर सिविल न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता है तब तक पंजीकृत वसीयत नामा प्रभाव में माना जावेगा। जहॉ तक भूमि पर कब्जे का प्रश्न है , तो प्रार्थी द्वारा यह कथन किया है कि उन्हे मौखिक दान करते हुए प्यारचंद्र की कृषि भूमि पर कब्जा दिया गया था जो कि मान्य नहीं है क्यो कि मौखिक दान का कानूनन कोई महत्व नहीं होता है, जबकि पंजीकृत वसीयत के आधार पर विपक्षी संख्या 2 कन्हैयालाल उक्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज करने का अधिकार रखते है। कब्जे के सम्बन्ध में प्रार्थी ने कोई ठोस सबूत प्रस्तुत भी नहीं किया है। वर्तमान में भूमि मृतक खातेदार मांगीवाई के नाम पर दर्ज है। इस प्रकार दस्तावेज साक्ष से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

3- अपूर्णनीय क्षति :-

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में खातेदार मृतक मांगीबाई के नाम पर ही दर्ज है। प्रार्थी का कोई कब्जा उक्त भूमि पर होना सिद्ध नहीं हुआ है साथ ही प्रार्थी के नाम पर भी मृतक खातेदार मांगीवाई की भूमि दर्ज नहीं हुई है जबकि विपक्षी संख्या 2 कन्हैयांलाल के पक्ष में मांगीबाई द्वारा एक पंजीकृत वसीयत नामा निष्पादित किया है, यदि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो निश्चित ही विपक्षी को आर्थिक क्षति होती है जबकि प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई क्षति होने की संभावना नहीं है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रतिपादित तीनो ही बिन्दु दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित हुए है, जिससे प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं